

कार्यालय: नियोजन अनुभाग,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

9474/24

2112-24

पत्रांक: 440/ ए.ए. 6/24

दिनांक: 20-12-2024

अधिकासी अभियन्ता, जोन-6

कृपया अभियन्त्रण खण्ड जोन-6 द्वारा उपलब्ध कराये गये मापों के आधार पर आराजी सं0-93 ग्राम जियामऊ, डालीबाग, में 72 ई0डब्लू0एस0 फ्लैट के ले-आउट प्लान तथा बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13.12.2024 में प्रदान कर दिया गया है। तदनुसार अनुमोदित ले-आउट प्लान तथा बिल्डिंग प्लान की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिकासी  
जोन-6



संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव/अपर सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. मुख्य नगर नियोजक महोदय को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियन्ता महोदय को उनके पत्र संख्या-391/एए-6/24 दिनांक 03.10.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिकासी अभियन्ता-नियोजन को सूचनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी-फ्लैट को अनुमोदित ले-आउट प्लान तथा बिल्डिंग प्लान की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्री सुरेश कुमार, ब्लू प्रिंटर को मूल ले-आउट प्लान तथा बिल्डिंग प्लान की प्रति को रिकार्ड में रखने हेतु।

21/12/24

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

Handwritten signature of the Assistant Engineer, Planning

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट

A.G. (K)

Handwritten signature of the Assistant Engineer, Planning

7/12/24  
23/12/24



## कार्यालय, लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
विपिन खंड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,  
यू0पी0 रेरा,  
कालाकंकर हाउस,  
न्यू हैदराबाद, लखनऊ।

संख्या 437/AA-6/25  
दिनांक 19-0-25

नत्थी .....

विषय

आराजी संख्या-93, ग्राम जियामऊ, डालीबाग में 72 ई0डब्लू0एस0 फ्लैट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पूर्व प्रेषित कार्यालय पत्र संख्या-440/ए0पी0ए0/2024, दिनांक 20.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आराजी संख्या-93, ग्राम जियामऊ, डालीबाग में 72 ई0डब्लू0एस0 फ्लैट के रेरा पंजीयन के सम्बन्ध में है। अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि 13.12.2024 से दिनांक 12.12.2029 तक है, जो कि भवन निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत पुनः 03 वर्षों हेतु प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन पर बढ़ायी जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता  
जोन-6 (अभियन्त्रण)

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव को सूचनार्थ।

अधीक्षण अभियन्ता  
जोन-6 (अभियन्त्रण)